an>

Title: Prof. Ravindra Vishwanath Gaikwad made a submission regarding imposition of 'flying ban' on Prof. Ravindra Vishwanath Gaikwad by Air India and other Airlines causing violation of fundamental right and privilege granted to members.

माननीय अध्यक्ष : गायकवाड़ जी, आप बोलिये।

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ (उस्मानाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I have called Prof. Gaikwad. Let me hear what he is saying.

...(*Interruptions*)

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिये, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।

â€¦(व्यवधान)

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है, उस पर मुझे सदन में बोलने की अनुमति दी। लोकतंत्र के सार्वभौम सदन में मैं खड़ा हूं, इसलिए नहीं कि मैं निर्दोÂ○ा हूं या नहीं। लाखों लोगों ने चुनकर दिये गए एक जनप्रतिनिधि से एयरलाइंस के कर्मचारियों ने कैसा दुर्व्यवहार किया और सारी संसद को गुनहगार ठहराने की कोशिश कैसे हो रही है, यह बताने के लिए मैं खड़ा हूं। अपेक्षा यह है कि आखिर सत्य की विजय इस संसद में तो हो। यह संसद जनक्षोभ प्रकट कर रही है और उसे न्याय मिलना चाहिए, यह मेरी प्रार्थना है।

महोदया, मैं आपका बहुत आदर करता हूं। आप हमारी कस्टोडियन हैं, मेरे लिए तो आप मां जैसी हैं। इसलिए मैं आपसे न्याय की अपेक्षा करता हूं। मैंने क्या गुनाह किया है, मेरा क्या अपराध है कि जो उसकी जांच किये बिना मीडिया ट्रायल शुरू है। 23 मार्च, 2017 को पुणे से दिल्ली ए1852 फ्लाइट से मैं दिल्ली सदन में अधिवेशन के लिए उपस्थित रहने आ रहा था। मेरा बिजनेस क्लास टिकट था, लेकिन उधर इकोनोमी में मुझे बैठाया गया। उसका भी झगड़ा मेरा नहीं है। मेरा 1एफ टिकट था, उधर एक विकलांग सीनियर सिटिजन को मेरी सीट दी और उनकी जगह 2एफ पर मैं बैठा। लेकिन एयर इंडिया से मैंने सीट के लिए झगड़ा किया, मैंने मारा, ऐसा उठाया, यह गलत बात है। ...(व्यवधान) इकोनोमी रहने के बाद मेरे पास दूसरा कुछ पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं था, मैं इकोनोमी से उस फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद उतरते टाइम मैंने शांति से क्रू को पूछा कि मुझे कंप्लेन्ट बुक दो। उन्होंने कहा कि यहां कंप्लेन्ट बुक नहीं है, उसने लिखकर लिया, जो मेरी कंप्लेन्ट है, वह लिखकर ली और उसके ऊपर एक ऑफिसर आया, वह बोला कि आप कौन हैं, क्या प्राब्लम है? मैंने बोला कि क्या आप सी.एम.डी. हो, आपके ड्रैस कोड से लग रहा है कि आप बैग उठाने वाले हो, बराबर, वह बोला बराबर। उसके बाद में दूसरा ऑफिसर आया और उसके बाद में तीसरा ऑफिसर आया। उसमें वह आफिसर आने से बहुत टाइम लेट हो गया। उसके बाद मैंने उनसे विनती की कि आप कौन हो, आपका नाम दो, मोबाइल नम्बर दो, मैं ट्रायल देखता हूं कि तुम्हारा नम्बर है या नहीं। वह नम्बर है, रिंग बजा तो मैं जाऊंगा, बाद में मुझे चाहे जवाब देने दो या कंप्लेन्ट बुक की मेरे को पर्ची दो, मैं जाऊंगा। कोई भी वहां आने के लिए तैयार नहीं था। 45 मिनट के बाद में एक ऑफिसर आया, मैंने उन्हें कहा कि आप शान्ति से बात करिये, मैं आपके साथ शान्ति से ही बात कर रहा हूं। फिर भी उनका चिल्लाना नहीं रुका, उल्टा उसने आप क्या हो, यह सवाल पूछा? मैंने शान्ति से पूछा, "आप क्या हो?" तो उन्होंने कहा कि "मैं एयर इंडिया का बाप हूं"।...(व्यवधान) मैंने कहा कि "मैं एम.पी. हूं" तो वह चिल्लाकर बोला कि "एम.पी. हुआ तो क्या हुआ, तू नरेन्द्र मोदी है क्या"? ...(व्यवधान) यह बोलकर उन्होंने मेरी कालर पकड़कर धक्केलने की कोशिश की। इस दुर्व्यवहार और अपमानित करने वाले बर्ताव से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे धकेल दिया। मैडम, उसको मैंने धकेल दिया। देश की संसद और सांसदों के खिलाफ अभद्र भाÂ○ा○ा का इस्तेमाल किया गया, गाली-गलौच की। इसका वीडियो क्लिप मेरे पास उपलब्ध है, जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। यह सच्चाई है। एयर इंडिया की एयरहोस्टेस ने भी दो दिन के बाद मीडिया को बयान दिया कि यह सारी घटना इस अधिकारी के दुर्व्यवहार के कारण हुई है। इससे ज्यादा कौन सा प्रूफ हो सकता है। एयरहोस्टेस ने ही उधर प्रूफ दिया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि यह दुर्व्यवहार, गाली-गलौच करने वाले आज बेगुनाह समझ कर घूम रहे हैं और मुझे एयर इंडिया की ही नहीं, सभी एयरलाइंस ने यात्रा की पाबंदी लगा दी है। ...(व्यवधान) मेरे संवैधानिक अधिकार पर आक्रमण हो रहा है, जो मेरा मूलभूत अधिकार है। आप हमारी कस्टोडियन हो और आपसे मैं अपने अधिकार की रक्षा की अपेक्षा करता हूँ।

महोदया, मैं टीचर हूँ। विनम्रता मेरा स्वभाव है। वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी के संस्कार से प्रभावित हो कर शिव सैनिक बना हूँ। आदरणीय पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व और मार्गदर्शन पर काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि संसद में जा कर कहो कि यदि मेरे व्यवहार से संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है तो मैं इस देश के सार्वभौम संसद में क्षमा मांगता हूँ। संसद से क्षमा मांगता हूँ, उस अफसर से नहीं। ...(व्यवधान)

महोदया, इस सदन में माननीय गृह मंत्री जी उपस्थित हैं। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि मुझ पर एफ.आई.आर. दाखिल हुई है। आपको जान कर आश्चर्य होगा कि मुझ पर आई.पी.सी. 308 की धारा लगाई गई है। ...(व्यवधान) अटेंप्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया है। क्या मेरे पास हथियार थे, क्या मैंने उस अफसर को मारा है, क्या मैडिकल हुआ है? हथियार तो था, लेकिन ले जाने नहीं दिया गया। अटेंप्ट टू मर्डर दिल्ली पुलिस ने लगाया कैसे? यह मेरा खरा सवाल है। वह भी एम.पी. के ऊपर एटेंप्ट टू मर्डर लगाया गया है। उसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? इस घटना को आज आठ दिन हो गए हैं, फिर वह अटेंप्ट टू मर्डर चालू ही है। मेरी आपसे विनती है कि मुझ पर से धारा-308 हटाने की आवश्यकता है। यह तो इस देश में अंधा कानून हो गया है। हमने सुना था कि अंग्रेज अंधा कानून चलाते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सामान रेलगाड़ी से नीचे फेंकने वाले अंग्रेज थे। पंथ प्रधान नरेंद्र मोदी को वीज़ा नकारने वाला अमरीका और मुझ पर एकतरफा आरोप लगाने वाली एयरइंडिया और विमान कंपनियां, इनमें एकतरफी अन्याय प्रक्रिया और सामुहिक दबावतंत्र की समान पातृता है। ...(व्यवधान) इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि विमान कंपनी टिकट इश्यु करते वक्त, कोई भी किसी का भी टिकट निकालता है, मेरा बयान आने के बाद मेरे नाम से सात टिकट निकाले गए, कौन निकाला मुझे पता नहीं और कुछ मीडिया ने खबर चलाई कि मैं यहां से वहां आ रहा था या आ रहा है। ...(व्यवधान) मैं कहीं गया ही नहीं था। मीडिया मुझे आठ दिन तक ढूंढ नहीं पायी। ...(व्यवधान) मैं भी शिवसैनिक हूँ। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने शिवशाही में, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार से कैसे लड़ना है, यह हमें सिखाया है। महोदया, इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि विमान कंपनी टिकट इश्यु करते समय आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कंप्लसरी करने की आवश्यकता है। बाहर के टैरोरिस्ट आ रहे हैं अंदर किसके भी नाम से। बुकिंग के टाइम वह नहीं लिया जाता है। उसके ऊपर कानून होने की आवश्यकता है। वह कानून बनाया जाए। इतना ही मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ।

महोदया, सुरक्षा जांच के बाद उड़ान में कौन यात्री अस्त्र-शस्त्र ले कर अंदर जाता है, जिससे किसी की जान को खतरा पहुंच सकता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थनापूर्वक मांग करता हूँ कि इस पूरी घटना की जांच की जाए और जिस कर्मचारी ने मुझसे दुर्व्यवहार किया, एयर इंडिया ने किया, उसके साथ मिली-भगत करने वाली जो कंपनियां हैं, उन्होंने मेरे ऊपर जो अन्याय किया है, उन पर तुंरत कार्यवाही करें, खास कर एयर इंडिया के सी.एम.डी. जिन्होंने बिना जांच किए, सोशल मीडिया में मेरी ही नहीं, सारे सांसदों की बदनामी की है। आखरी विनती है कि मेरी हवाई उड़ान पर लगाई गई पाबंदी तुरंत हटाई जाए। आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से मेरी विनती है कि मेरे ऊपर अन्यायकारण 308 की धारा लगाई गई है, उसको हटाया जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से कुछ कहना चाहता हूँ। महोदया, मैं भारत सरकार का मंत्री हूँ और उससे पहले मैं इस सदन का सदस्य हूँ। इसलिए इस सदन के सदस्य के नाते, मैं अपनी कुछ बातें इसी संदर्भ में यहां पर रखना चाहूंगा। हमारे गृह मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं। सारा सदन उपस्थित है और सिविल एविएशन मंत्री भी यहाँ उपस्थित हैं।

महोदया, रविन्द्र गायकवाड़ इस सदन के एक सम्मानित सदस्य हैं। जो घटना उनके साथ हुई है, उनकी यात्रा के दरमियान, अब इसकी एफ.आई.आर. दिल्ली पुलिस ने तो दाखिल की है, जिसके

सन्दर्भ में उन्होंने गृह मंत्री जी से माँग की है कि किसी सांसद के ऊपर विमान यात्रा के दौरान यदि कुछ हाथापाई होती है तो सीधे उसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर, यदि उसके खिलाफ सीधे इस प्रकार की कोई धारा दर्ज की जाये तो यह तो सरासर नाइंसाफी होगी। गृह मंत्री जी इस संदर्भ में जरूर यहाँ पर अपना बयान देंगे। जो कड़ी से कड़ी मतलब जो जाँच हो रही है, वह जाँच होगी, जो कुछ सत्य होगा, वह जाँच के बाद सामने आयेगा, आप इसकी जाँच करवाइयेगा, जाँच के लिए कोई रोक नहीं है, हम उसका विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन किसी अपराध की जाँच किये बिना एयर इन्डिया ने सीधा जो पनिश किया और सारी एयरलाइन्स ने उनकी यात्रा पर जो बन्दी लगायी, यह कौन सा न्याय है? किस प्रकार से हमारी सरकार, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, जो जनता की सरकार है, वह जाँच किये बिना एक सांसद के ऊपर कैसे सारी उड़ानों में पाबंदी लगा सकती है? यह सबसे बड़ी दर्दनाक और शर्मनाक बात है। मैं दर्द भी महसूस करता हूँ, मैं शर्म भी महसूस करता हूँ और इसीलिए मैं सिविल एविएशन मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार का एकतरफा निर्णय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा नहीं होना चाहिए। मैं माँग करूँगा कि इस पाबन्दी को हटाया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU): Madam Speaker, this is the second time that this issue has come here. First time, I had explained about the Civil Aviation's requirement. There are two angles to it. One is the case. The hon. Member has written two letters to me which I have forwarded to the Station House Officer so that they can become a part of the inquiry. First of all, it is a process of law. Law should take its own course. Whatever the hon. Member wants, he can do that from his side. When I made the submission to the House on the Civil Aviation's requirement I made it very clear that it is not a 'Member of Parliament', it is a 'passenger'. I am on record in regard to that. I have nothing to add...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप सुनिए तो सही। अरविंद जी, गुस्सा नहीं करते। He is also a Minister, आप उनकी बात सुनिए।

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: My submission, through you, to the House is if you want to defuse the situation, you can defuse it, if you want to aggravate the situation, you can aggravate it. But aircraft are machines in which people fly. Safety is important and it will not be compromised....(*Interruptions*)

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): महोदया, सेफ्टी का सवाल किधर पैदा होता है?...(व्यवधान) बिना इंक्वायरी के माननीय सदस्य के ऊपर बैन लगाना ठीक नहीं है।...(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : यह ठीक नहीं है।...(व्यवधान)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : हमारे देश में कोई कायदा-कानून है या नहीं?...(व्यवधान)

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : महोदया, यह बात सही नहीं है। एयर बैन के ऊपर मंत्री महोदय को डिसिजन लेना ही पड़ेगा।...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): This is not the way. The Civil Aviation Minister has not given the answer. Under what provisions of law, can the passenger be banned?...(*Interruptions*) The Minister is avoiding the House. ...(*Interruptions*) He is not giving the answer as to under what law he can be banned. Under what law can it be done? ...(*Interruptions*) This is not fair. I am not on the talking about the crime, that is, what has happened or what has not happened. I am not on that. But under what law or under what provisions of law, can a passenger be banned? Under what law it can be done is what I wish to know from the Minister. ...(*Interruptions*) The Civil Aviation Minister is not giving the answer to that. Under what provisions of law, have you done it? The Minister has to give the answer as to under what provisions of law it was done. Do not speak about safety. Everybody knows about 'safety'. Under what provisions of law, can a passenger be banned? Whether an offence has been committed or not is a subject matter of investigation or a subject matter of trial. But under what provisions of law can a passenger be banned? ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will look into it.

...(*Interruptions*)

12.26 hours

(*At this stage, Shri Chandrakant Khaire and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do not do like this.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12.45 p.m.

1226 hours

The Lok Sabha then adjourned till Forty-Five Minutes past

Twelve of the Clock.

12.45 hours

The Lok Sabha re-assembled at Forty-Five Minutes past

Twelve of the Clock.

(Dr. Ratna De (Nag) *in the Chair*)

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again at 1.00 p.m.

12.46 hours

The Lok Sabha then adjourned till Thirteen of the Clock.

13.00 hours

The Lok Sabha re-assembled at Thirteen of the Clock.

(Shri K.H. Muniyappa *in the Chair*)

...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The House stands adjourned to meet again at 1.15 p.m.

1300 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes past

Thirteen of the Clock.

13.15 hours

The Lok Sabha reassembled at Fifteen Minutes past Thirteen of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष : श्री राजनाथ सिंह।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, पिछले दिनों एयर इंडिया की फ्लाइट में जो भी घटना घटित हुई, मैं ऐसा मानता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा रहा होता कि इस प्रकार की घटना न घटित हुई होती। आज इस सदन के सम्मानित सदस्य रविन्द्र गायकवाड़ जी ने अपना पक्ष सदन के समक्ष रखा है। इस संबंध में हमारी बातचीत सिविल एविएशन मिनिस्टर, अनंत गीते जी जो हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं और आनंदराव अड़सुल जी के साथ हुई है। बातचीत के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जितने भी स्टेकहोल्डर्स हैं, उनके साथ बातचीत करके जल्दी से जल्दी इसका एमिकेबल सॉल्युशन निकालेंगे।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, हाउस में...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं इसे क्लैरीफाई करना चाहता हूं। दोनों मिनिस्टर्स की आपस में बातचीत हुई है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जल्दी से जल्दी हम इसका एमिकेबल सॉल्युशन निकालेंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

â€¦(व्यवधान)